न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 381/2021 **(GCMS No. 2021/451)**

प्रार्थी

1. कानसिंह पुत्र लालूराम जाट उम्र 71 वर्ष निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि (भूमिधारी) तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 05/05/2022

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है ग्राम कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2650/815, 2651/823, 2655/823, 2656/823, 2657/823, 763, 780, 782, 783, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 796, 797, 798, 808, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 858, 860 कुल रकबा 34.33 हैक्टर में अन्य सहखातेदारान के साथ प्रार्थी की कब्जासुदा, खातेदारीसुदा भूमि चली आ रही है, जिसमें प्रार्थी का 7989/171650 हिस्सा अर्थात भूमि रकबा 1.5978 हैक्टर स्थित है, कुचामनसिटी के खसरा नम्बरान की भूमि में अन्य सहखातेदारान के साथ प्रार्थी के पिता का नाम व जाति तथा गांव का नाम नकल जमाबंदी सम्वत 2026–2029 में कानसिंह पुत्र लालूराम जाति जाट निवासी कुचामनसिटी दर्ज है इस प्रकार नामान्तरकरण पंजिका दिनॉक 02.04.1968 में भी प्रार्थी के पिता का नाम लालूराम जाट निवासी कुचामनसिटी दर्ज चला आ रहा है, जमाबंदी सम्वत 2070–2073 प्रार्थी का नाम कानसिंह पुत्र लालाराम हिस्सा 1.597855 हैक्टर तथा सहखातेदार मानप्रकाश पत्रु बद्रीप्रकाश कौम मोची साकिन आनन्दपुरा दर्ज हुआ है इसमें पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी कानसिंह पुत्र लालूराम के साथ जाति जाट साकिन कुचामनसिटी अंकित करना सेग्रीगेशन के समय छूट गया तथा सहखातेदार मानप्रकाश पुत्र बद्रीप्रकाश कौम मोची साकिन आनन्दपुरा होने से प्रार्थी के पिता का नाम लालूराम जाति जाट तथा साकिन कुचामनसिटी के स्थान पर सेग्रीगेशन के समय प्रार्थी के पिता का नाम लालाराम जाति मोची साकिन आनन्दपुरा गलत दर्ज हो गया जो पटवारी हल्का द्वारा चौसाला तैयार करते समय लिपिकीय त्रुटी है, प्रार्थी के पिता का नाम लालूराम जाति जाट साकिन कुचामनसिटी नही होकर प्रार्थी के पिता का नाम लालाराम मोची साकिन आनन्दपुरा होने से प्रार्थी को बैंक ऋण लेने, भू–रुपान्तरण करने, बेचान, हस्तानान्तरण करने इत्यादि करने इत्यादि करवाने में भारी दुविधाओं का सामाना करना पड़ रहा है तथा अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित होना पड़ रहा है इसलिये प्रार्थना–पत्र लाना लाजमी हुआ, प्रार्थी के पिता

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

का नाम लालूराम जाति जाट साकिन कुचामनसिटी पूर्व चौसाला जमाबंदी सम्वत 2074–2077 –78 नकल जमाबंदी सम्वत 2070–2073 मिलान क्षेत्रफल नामान्तरकरण पंजिका, जमाबंदी सम्वत 2026–2029 में सही एवं वास्तविक नाम जाति, साकिन चला आ रहा है, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2650/815, 2651/823, 2655/823, 2656/823, 2657/823, 763, 780, 782, 783, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 796, 797, 798, 808, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 858, 860 कुल रकबा 34.33 हैक्टर में प्रार्थी के पिता का नाम लालाराम जाति मोची साकिन आनन्दपुरा गल दर्ज किया गया है, जिसको शुद्व किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी के पिता का नाम लालूराम, जाति जाट तथा साकिन कुचामनसिटी राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, जिन्होने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि में प्रार्थी की अन्य सहखातेदारान के साथ कानसिंह पुत्र लालाराम हिस्सा 7889/171650 दर्ज है शेष तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्व करे।

प्रार्थी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी नकल सम्वत 2026–2029, 2030–2033, 2033–2036, 2037–2040, 2070–2073, 2074–2077, मिलान क्षेत्रफल की नकल खसरा नम्बर 83 मीन नये खसरा नम्बर 763, नामान्तरकरण, आधार कार्ड सं. 799553688209 की छाया प्रति, मतदाता पहचान पत्र **KWJ/1437011** की छाया प्रति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 1965 जारी तिथि 07 सितम्बर 1965 की छाया प्रति, बेचान दस्तावेज 17.08.1967 की छाय प्रति प्रस्तुत की है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

उभय पक्षकारान की प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहदरया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। बेचान दस्तावेज अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनॉक 17.08.1967 को खातेदार हणमान पुत्र किसन दरोगा कुचामन से भूमि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 83 रकबा 331 बीघा 17 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि क्रय की गई है जिसमें प्रार्थी क्रेता कानसिंह पुत्र लालूराम कोम जाट साकिन कुचामन अंकित है, जमाबंदी सम्वत 2026–2029 कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 83 में अन्य खातेदारान के साथ कानसिंह पुत्र लालाराम जाट १० दर्ज है, जमाबंदी सम्वत 2030–2033 में कुचामण के खसरा नं. 83 रकबा 323बीघा 17 बिस्वा में कानसिह पुत्र लालाराम 10 बीघा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज है दर्ज है, सम्वत 2033–2036 कुचामण के खसरा नम्बर 83 में कानसिंह पुत्र लालाराम अन्य सहखातेदारान के साथ नाम दर्ज है, सम्वत 2037–2040 में कुचामण के खसरा नम्बर 83 में कानसिंह पुत्र लालाराम 10 बीघा अन्य सहखातेदारान के साथ नाम दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2070–73 कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 763, 780, 782, 783, 786 से 792, 794 से 798, 808, 810 से 13, 815 से 823, 858, 860, 2650/815, 2651/823, 2655/823, 2656/823, 2657/823, 2658/810 कुल रकबा 30.8739 हैक्टर में कानसिंह पुत्र लालाराम हिस्सा 7989/171650 जाति मोची सा. आनन्दपुरा खातेदार अन्य सहखातेदारान के साथ नाम दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2074–2077 में भी उक्त अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

इन्द्राज है। प्रार्थी द्वार प्रस्तुत आधार कार्ड मतदाता सूची में कानसिंह पुत्र लालूराम कुचामन दर्ज है तथा सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 1965 की प्रति में भी कानसिंह पुत्र लालूराम कुचामनसिटी दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम समस्त दस्तावेजात इत्यादि में नाम कानसिंह पुत्र लालूराम दर्ज है तथा भूमि क्रय किये जाने के समय भी कानसिंह पुत्र लालूराम जाति जाट साकिन कुचामनसिटी दर्ज रहा है, रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि नई जमाबंदी बनाये जाने के समय प्रार्थी का नाम त्रुटि से कानसिंह पुत्र लालाराम मोची सा. आनन्दपुरा दर्ज हुआ है, जबकि प्रार्थी का नाम कानसिंह पुत्र लालूराम जाति जाट है जिसकी पुष्टि उपरोक्त दस्तावेजात इत्यादि से होती है, इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 763, 780, 782, 783, 786 से 792, 794 से 798, 808, 810 से 13, 815 से 823, 858, 860, 2650 / 815, 2651 / 823, 2655 / 823, 2656 / 823, 2657 / 823, 2658 / 810 कुल रकबा 30.8739 हैक्टर में अंकित प्रविष्टि कानसिंह पुत्र लालाराम हिस्सा 7989 / 171650 जाति मोची सा. आनन्दपुरा खातेदार के स्थान पर कानसिंह पुत्र लालूराम हिस्सा 7989 / 171650 जाति जाट सा. कुचामनसिटी खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उक्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने हेतु तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 05/05/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट **RAS**)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

क्रमांक /कोर्ट/2022/ 136 दिनॉक 14.6.2022

प्रेषित :– तहसीलदार

कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 381/2021 कानसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी वगैरह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट 1956 में पारित आदेश अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्ग लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 381/2021 कानसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी वगैरह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट 1956 में पारित आदेश की प्रति भिजवाई जा रही है, माफिक आदेश राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत करे।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि आदेश दिनॉक 5.5.2022 में खसरा नम्बर 2658/810 एवं कुल रकबा 30.8739 जमाबंदी नकल सम्वत 2070–2073 कें टंकणीय भूल से टाईप हो गये है जबकि सम्वत 2074–2077 में खसरा नम्बर 2658/810 अंकित नही है तथा कुल रकबा 34.33 हैक्टर है, इसलिए आदेश में संशोधन किये जाने के आदेश प्रदान फरमावें।

प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पाया गया कि इस न्यायालय के आदेश दिनॉक 5.5.2022 में कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 763, 780, 782, 783, 786 से 792, 794 से 798, 808, 810 से 13, 815 से 823, 858, 860, 2650/815, 2651/823, 2655/823, 2656/823, 2657/823, 2658/810 कुल रकबा 30.8739 नकल खतौनी सम्वत 2070–73 अनुसार टंकणीय भूल रही है, जबकि जमाबंदी नकल सम्वत 2074–77 में ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2650/815, 2651/823, 2655/823, 2656/823, 2657/823, 763, 780, 782, 783, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 796, 797, 798, 808, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 858, 860 कुल रकबा 34.33 हैक्टर खसरा नम्बर एवं रकबा अंकित है।

अतः उक्त आदेश तिथि दिनॉक 5.5.2022 में खसरा नम्बर 2658/810 हटाया जाता है तथा रकबा 30.8739 के स्थान पर 34.33 हैक्टर दुरूस्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। उक्त अनुसार पालना सुनिश्चित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)